सीबीएसई/लेखा परीक्षा/मुख्या./2017/286 **दिनांक 31.08.2017**

परिपत्र

यह देखा जा रहा है कि प्रापण के संबंध में फाइलें कई बार पूर्व लेखा परीक्षा के लिए आईएएफए, आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से चलाई जाती हैं। यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है।इससे प्रापण प्रक्रिया में देरी होती है। सर्वप्रथम फाइलें प्रशासनिक अनुमोदन के लिए और उसके बाद वित्तीय अनुमति के लिए और अंत में भुगतान के लिए आनी चाहिए। प्रत्येक फाइल निविदा मसौदा के पुनरीक्षण के लिए भी भेजी जा रही है। अत: निविदा करते समय वित्तीय मामलों में सामान्य निविष्टयॉ एककों की सुविधा के लिए जारी की जा रही हैं।

अत: किसी निविदा दस्तावेज़ों को अंतिम रूप देने से पहले, सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/ एककों/उत्कृष्टता केंद्रों से निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

1. **जीएफआर सं.: 170 के अनुसार**
   (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएएमई) अथवा केन्द्रीय क्रय संगठन (सीपीओ) से पंजीकृत को छोड़कर बोली प्रतिभूति बोली लगाने वालों से प्राप्त की जाए।
   (ख) प्रापण की जाने वाली वस्तुओं के अनुमानित मूल्य के 2% से 5% के बीच की सीमा में बोली प्रतिभूति की राशि होनी चाहिए।
   (ग) बोली प्रतिभूति खाता आदाता मांग ड्राफ्ट, एफडीआर, बैंकर चैक अथवा किसी भी व्यावसायिक बैंक से बैंक गारंटी अथवा स्वीकार्य रूप में ऑनलाइन भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है।
   (घ) बोली प्रतिभूति, सामान्यत: अंतिम बोली वैधता अवधि से आगे पैंतालिस दिनों की अवधि के लिए वैध रहती है।
   (ङ) अंतिम बोली वैधता के खत्म होने के बाद और अनुबंध देने के बाद 30 वें दिन को अथवा पहले असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति उन्हें लौटायी जानी चाहिए।

2. **जीएफआर नियम सं. 171 के अनुसार**
   (क) अनुबंध का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन प्रतिभूति सफल बोली लगाने वाले जिसे अनुबंध दिया गया है,से प्राप्त की जानी है।
   (ख) निष्पादन प्रतिभूति बोली दस्तावेजों में यथा निर्दिष्ट अनुबंध के मूल्य के 5% से 10% तक की राशि होनी चाहिए।
   (ग) जीएफआर नियम सं. 170 के अन्तर्गत बोली प्रतिभूति के लिए यथा स्वीकार्य किसी भी रूप में निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जाए।

(घ) निष्पादन प्रतिभूति वारंटी दायित्वों सहित पूर्तिकर्ता के सभी अनुबंधात्मक दायित्वों के पूर्ण होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

(ङ) निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर बोली प्रतिभूति सफल बोली करने वाले को वापस की जानी चाहिए।

3. दंड लगाने के लिए उपयुक्त खंड को शामिल किया जाना चाहिए।
4. कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही भुगतान किया जाए। जीएफआर नियम सं. 172 के अन्तर्गत यथा उल्लिखित स्थितियों को छोड़कर अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जाना चाहिए।
5. जीएफआर के अनुसार ई-पब्लिशिंग और व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बोलियां प्रस्तुत करने के लिए जीएफआर के तहत यथा अपेक्षित पर्याप्त समय देना चाहिए।
6. जीएफआर 2017 के अनुपालन में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए।

सभी संबंधित से लेखा परीक्षा पुनरीक्षण के लिए मसौदा निविदा न भेजने किन्तु निविदाओं को जारी करते समय उपर्युक्त सूचना का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है।

हस्ता/-
(भारती जाड़े)
आईएएफए

वितरण

1. सीबीएसई, अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष को सूचना हेतु
2. सचिव के व. नि. स. को सूचना हेतु
3. कार्यकारी निदेशक के व. नि. स. (जेएबी)
4. निदेशक, आईटी के व. नि. स.
5. ओएसडी, एनईईटी के व. नि. स.
6. अपर निदेशक (एआरटी एण्ड आई) शैक्षणिक एकक
7. सभी क्षे. कार्यालय
8. सभी उत्कृष्टता केंद्र